

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सुभाष चन्द्र पुत्र गोकुल राम जाति अहीर निवासी खारिया तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 520/2025
जीसीएमएस नं0 2025/924


आदेश

दिनांक - 19/8/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम खारिया पटवार हल्का डोकन तहसील पाटन के खाता संख्या 73 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "सुभाषचन्द्र पुत्र गोकुल"के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "सुभाष चन्द्र पुत्र गोकुल राम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवेर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)